कार्यालय प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तोकापाल
जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़
CBSE AFF: - 3320467
UDISE N0.: - 22152305302
Email: - emrstokapal@gmail.com

Office of Principal
Eklavya Model Residential School
Tokapal, Distt-Bastar, Chhattisgarh
SCHOOL N0.: - 17446
PHONE N0.: - 9304877464
Website: - www.emrstokapal.in

क्रमांक/आ.वि./प्रा.ई.एम.आर.एस./स्था0-01/2025-26/447/ तोकापाल/दिनांक: 05 /02/2026

स्मरण पत्र – 01

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ०ग०)

विषय :- विद्यालय में EMRS प्रबंधन समिति के गठन हेतु प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में स्मरण पत्र।

संदर्भ :- 1. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली का पत्र क्रमांक NESTS/NESTS-Circulars /129 /2025-26 दिनांक 09/10/2025
2. इस कार्यालय का पूर्व पत्र (EMRS प्रबंधन समिति गठन के संबंध में) क्रमांक/आ.वि./प्रा.ई.एम.आर.एस./स्था0-01/2025-26/280/तोकापाल/दिनांक : 10/11/2025

-----0000-----

सादर निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में विद्यालय में EMRS प्रबंधन समिति के गठन हेतु प्रस्ताव पूर्व में सादर प्रेषित किया गया था।

उक्त प्रस्ताव में समिति की संरचना निम्नानुसार किए जाने का उल्लेख किया गया था ।

EMRS प्रबंधन समिति की संरचना:

क्र.सं.	पद/पदाधिकारी	भूमिका	रिमार्क
1	जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त	अध्यक्ष	
2	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य	
3	कार्यपालक अभियंता,लोक निर्माण विभाग (PWD), (भवन)	सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	
5	उप-प्राचार्य / विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक	सदस्य	श्री धीरज कुमार (पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान)
6	जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी /DWO/PO/PA,ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो)	सदस्य	नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी
7	निकटतम स्कूल के प्राचार्य	सदस्य	श्री शालिगराम पचौरी, प्राचार्य EMRS छिंदावाड़ा
8	दो प्रतिनिधि (माता-पिता), जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी।	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा
9	प्राचार्य – संबंधित EMRS	सदस्य-सचिव	

रिमार्क :

1. संस्था में उप-प्राचार्य का पद खाली होने के कारण संस्था में कार्यरत श्री धीरज कुमार (पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान, वरिष्ठतम शिक्षक) को क्र.सं. 5 में प्रदर्शित पद/पदाधिकारी के सापेक्ष सदस्य की भूमिका हेतु नामांकित किया गया है ।
2. क्र.सं. 7 में प्रदर्शित सदस्य पद हेतु श्री शालिगराम पचौरी, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छिंदावाड़ा, दरभा (निकटतम) नामांकित किया गया है ।
3. क्र.सं. 8 में प्रदर्शित सदस्य की भूमिका हेतु दो प्रतिनिधि (माता-पिता), जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी। श्री खेमेश्वर कश्यप f/o सोमरत्न कश्यप (6th 'B' का छात्र) एवं श्री मती डुंडकी बघेल m/o नंदिनी बघेल (8th 'B' की छात्रा) का नाम आपके अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित हैं ।

D:\MANOJ\OFFICE ORDERS\2025-26 1.DOCX

05-02-2026
प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
तोकापाल जिला-बस्तर (छ.ग.)

अतः महोदय से निवेदन है कि क्र. 06 में सदस्य की भूमिका हेतु जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी / DWO/ PO/ PA, ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो), की नियुक्ति एवं क्र. सं. 5, 7, एवं 8 हेतु नामांकित सदस्यों का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें, जिससे EMRS प्रबंधन समिति का गठन शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

05-02-2026

प्राचार्य

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
तोकापाल जिला-बस्तर (छ.ग.)

D:\MANOJ\OFFICE ORDERS\2025-26 1.DOCX

कार्यालय प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तोकापाल
जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़
CBSE AFF: - 3320467
UDISE No.: - 22152305302
Email: - emrstokapal@gmail.com

Office of Principal
Eklavya Model Residential School
Tokapal, Distt-Bastar, Chhattisgarh
SCHOOL No.: - 17446
PHONE No.: - 9304877464
Website: - www.emrstokapal.in

क्रमांक/आ.वि./प्रा.ई.एम.आर.एस./स्था0-01/2025-26/280/ तोकापाल/दिनांक: 10 /11/2025

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ०ग०)

विषय :- **विद्यालय में EMRS प्रबंधन समिति के गठन करवाने के संबंध में ।**

संदर्भ :- **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली का पत्र क्रमांक NESTS/NESTS-Circulars/129/2025-26 Date- 09/10/2025**

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लेख है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक EMRS प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है । निर्देशानुसार समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।

उक्त के क्रम में समिति संस्थान के समग्र विकास के साथ-साथ शैक्षिक, प्रशानिक और विकासात्मक गतिविधियों की देख-रेख के लिए मुख्य निकाय के रूप में कार्य करेगी, जो छात्रों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता, समुदाय की भागीदारी और अनुशासन के विकास को भी सुगम बनाएगी । यह समिति निधियों के उपयोग, पर्यवेक्षित स्कूल संचालन और निरंतर सुधार के लिए मार्गदर्शन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी ।

समितियों के कार्य/शक्तियाँ (Functions/ Powers of the Management Committee):

i. स्कूल के लिए NESTS से प्राप्त निधियों पर व्यय का नियंत्रण सुनिश्चित करना, उचित संरक्षकता (custody) का प्रयोग करना, सही संवितरण (disbursement) और चालू वर्ष के खाते का सटीक रखरखाव करना ।

ii. अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करना, जिसमें स्टाफ के वेतन, उपकरणों की खरीद, गैर-मरम्मत भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय दोनों शामिल हैं, और इस तरह के व्यय के लिए मंजूरी प्राप्त करना।

iii. स्कूल के उचित संचालन और कार्यप्रणाली पर सामान्य पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, जिसमें स्कूल के सभी कर्मचारियों के रखरखाव, अनुशासन और सुचारू कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना शामिल है।

iv. स्कूल में कर्मचारियों के सदस्यों के रखरखाव और अनुशासन की देख-रेख करना, जिसमें छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना और उनका पोषण करना शामिल है।

v. हॉस्टल, कैटरिंग और समग्र कल्याण कार्यक्रमों सहित छात्रों के कल्याण की देख-रेख करना।

vi. किसी भी सुधार या सुधार के लिए सुझाव देना और स्कूल के कार्य में परिवर्तन के लिए प्रक्रियात्मक बदलाव करना।

vii. स्थानीय सहायता और सहयोग को सुरक्षित करने के लिए स्कूल की सहायता करना, ताकि स्कूल का कार्य और विकास मजबूत हो सके।

viii. विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित (authorize) करना और मंजूरी देना।

समिति का कार्यकाल (Tenure):

समिति के कार्यकाल हेतु NESTS द्वारा निम्न दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं -

i. ईएमसी के अध्यक्ष, जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त अपने पदेन (ex-officio) पद पर बने रहेंगे।

ii. प्राचार्य (Principal) पदेन सदस्य-सचिव होंगे।

iii. सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसके बाद वे पुन: नामांकन के पात्र होंगे।

iv. सदस्यों का कार्यकाल कार्यालय में उनके बने रहने तक या समिति के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।

v. नए स्थापित स्कूलों के लिए, प्राचार्य समिति के अनुमोदन के लिए NESTS को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा, और अनुमोदन के बाद यह समिति कार्य करेगी।

बैठकों की आवृत्ति (Frequency of Meetings):

i. समिति की बैठक एक तिमाही (quarter) में कम से कम एक बार होगी।

ii. अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

EMRS प्रबंधन समिति की संरचना:

क्र.सं.	पद/पदाधिकारी	भूमिका	रिमार्क
1	जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त	अध्यक्ष	
2	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य	
3	कार्यपालक अभियंता,लोक निर्माण विभाग (PWD), (भवन)	सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	
5	उप-प्राचार्य / विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक	सदस्य	श्री धीरज कुमार (पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान)
6	जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी /DWO/PO/PA,ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो)	सदस्य	नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी
7	निकटतम स्कूल के प्राचार्य	सदस्य	श्री शालिगराम पचौरी, प्राचार्य EMRS छिंदावाड़ा
8	दो प्रतिनिधि (माता-पिता), जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी।	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा
9	प्राचार्य – संबंधित EMRS	सदस्य-सचिव	

रिमार्क :

1. संस्था में उप-प्राचार्य का पद खाली होने के कारण संस्था में कार्यरत श्री धीरज कुमार (पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान, वरिष्ठतम शिक्षक) को क्र.सं. 5 में प्रदर्शित पद/पदाधिकारी के सापेक्ष सदस्य की भूमिका हेतु नामांकित किया गया है ।
2. क्र.सं. 7 में प्रदर्शित सदस्य पद हेतु श्री शालिगराम पचौरी, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छिंदावाड़ा, दरभा (निकटतम) नामांकित किया गया है ।
3. क्र.सं. 8 में प्रदर्शित सदस्य की भूमिका हेतु दो प्रतिनिधि (माता-पिता), जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी। श्री खेमेश्वर कश्यप f/o सोमरत्न कश्यप (6^{th} 'B' का छात्र) एवं श्री मती डुंडकी बघेल m/o नंदिनी बघेल (8^{th} 'B' की छात्रा) का नाम आपके अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित हैं ।

अतः महोदय से निवेदन है कि क्र. 06 में सदस्य की भूमिका हेतु जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी / DWO/ PO/ PA, ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो), की नियुक्ति कर EMRS प्रबंधन समिति के गठन में दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदाय करने की कृपा करें ।

10-11-2025

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
तोकापाल जिला-बस्तर (छ.ग.)